


नम्बर / तारीख
अहम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

तारीख हुकम हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
 29-9-23 मु.ने.प.61/2023 प्राथमिक स्थानांतरण
 उन्वान - रामेश्वर वेंगैय बनाम रामेश कुमार मीना

29-9-23 कायिकता प्राथमिक उपस्थित कायिकता अर्थात् 2
 उपस्थित उपलब्ध कायिकता विस्तार के रिपपी
 तब कर पत्रावली दिनांक 13-10-23 में पेश हो।


 अति. जिला कलक्टर
 दौसा

13-10-23 आज पीठासीन अधिकारी महोदय राज्य
 कार्य में वयस्त/अवकाश पर होने से
 गत आदेश की पालना में पत्रावली
 दिनांक 3-11-23 को पेश हो।

3-11-23 आज पीठासीन अधिकारी महोदय राज्य
 कार्य में वयस्त/अवकाश पर होने से
 गत आदेश की पालना में पत्रावली
 दिनांक 13-12-23 को पेश हो।

13-12-23 आज पीठासीन अधिकारी महोदय राज्य
 कार्य में वयस्त/अवकाश पर होने से
 गत आदेश की पालना में पत्रावली
 दिनांक 12-1-23 को पेश हो।

12-1-24 आज पीठासीन अधिकारी महोदय राज्य
 कार्य में वयस्त/अवकाश पर होने से
 गत आदेश की पालना में पत्रावली
 दिनांक 19-1-24 को पेश हो।

19-1-24 आज पीठासीन अधिकारी महोदय राज्य
 कार्य में वयस्त/अवकाश पर होने से
 गत आदेश की पालना में पत्रावली
 दिनांक 9-2-24 को पेश हो।

09-2-24 कायिकता प्राथमिक उपस्थित कायिकता प्राथमिक
 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में तत्कालीन
 पीठासीन अधिकारी श्री रामेश कुमार मीना
 उपलब्ध कायिकता विस्तार का स्थानांतरण हो गया
 अतः




 अति. जिला कलक्टर
 दौसा



तारीख
हुक्म


हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

है इसलिए प्राचीन पत्र स्थानांतरण के आगे
चलाया जाना उचित नहीं है।

पडावली का अवलोकन किया एवं कठिनायता
प्राचीन पत्र के मूल पर मनन किया गया। विचाराधीन
प्राचीन पत्र स्थानांतरण की शेरबहादुर सुमार मीना
तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी सिमराय के विरुद्ध पत्र किया गया है।
जिनका स्थानांतरण हो गया है। इसलिए
विचाराधीन प्राचीन पत्र स्थानांतरण सारहीन
होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाने योग्य है।

आतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिमराय
में विचाराधीन मुं. नं. 58/2023 वा. इ. एवं प्राचीन
पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी रामेश्वर
बं नाम भद्रेश को अन्य सक्षम न्यायालय में
स्थानांतरण करने हेतु प्राचीन रामेश्वर, प्रदीप
निरंजन पुत्र नरेंद्र चं. जाति माली निवासी
गीजगाढ़ तहसील सिमराय द्वारा इस न्यायालय
में प्रस्तुत प्राचीन पत्र स्थानांतरण खारिज किया
जाता है। निरीय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी सिमराय के बिजवाई जं. के
पडावली लेसल सुमार बी. जकर नम्बर से कम
है एवं बाद पूर्ण प्रविष्ट लेख भण्डार की जाके
निरीय द्वारा दिनांक 09-2-2024 को भरे द्वारा
मुं. न्यायालय में सुनाया गया।


नरेश बुनकर
अति. जिला कलक्टर
दोसा (राज.)



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

